

न्यायालय : सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा जिला हनुमानगढ़

कोलार्थीय अधिकारी : श्री कल्पित शिवराम आर ए, एल.

क्रमांक नं० : 108/2016

विषय : जमीनी मुद्दे सम्बन्धित जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।

—वादी

संज्ञा

1. अमरसिंह पुत्र शयोचन्द जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
2. राजपाल पुत्र रामरख जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
3. दीपकसिंह पुत्र रामरख जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
4. कृष्णकुमार पुत्र शयोचन्द जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
5. अमरसिंह पुत्र शयोचन्द जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
6. मेनपाल पुत्र शयोचन्द जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
7. हेतराम पुत्र शयोचन्द जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
8. सन्तोष चामी धनपत जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
9. मीनू पुत्री धनपत जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
10. सतीश कुमार पुत्र धनपत जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
11. धामकुमार पुत्र धनपत जमीन जाट निकासी पटका तहसील भादरा।
12. आर एन जी वी शाखा जोगीवाला तहसील भादरा जमिने शाखा प्रकाशक।
13. राजस्थान सरकार जमिने तहसीलदार राजस्थान भादरा।



— प्रतिवादीगण

आज यह याद न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा के सम्मल वकील वादी श्री विनोद पुनिया तथा वकील प्रतिवादीगण श्री पवन सिंहाण की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक घटवा बारानी के खाता संख्या 7/28 के मु० न० 3 के कि० न० 7 ता 9, 10, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25, मु० न० 8 के कि० न० 8 के कि० न० 2 ता 7, मु० न० 12 के कि० न० 22/2 मु० न० 15 के कि० न० 2, 9/2, मु० न० 38 कि० न० 11, 12, 19 ता 22, मु० न० 39 कि० न० 14, 15, 16, 17 कुल 9209 है० (बारानी 9057 है० रास्ता 0152 है०) यादभूमि दादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त यादभूमि में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का कब्जा कास्त के अनुसार खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय रंगदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्राक मूअ./25/323 दिनांक 30.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा चक घटवा बारानी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है—

विभाजन : रोही मौजा चक घटवा बारानी

1. अमरसिंह पुत्र शयोचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आरएमजीबी जोगीवाला, कृष्ण कुमार पुत्र शयोचन्द 1/6 हिस्सा राहिन बी० ओ० बी० भादरा, हेतराम पुत्र शयोचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आर०एम०जी०बी० जोगीवाला, मेनपाल पुत्र शयोचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आर०एम०जी०बी० जोगीवाला, राजपाल-दिवानसिंह पि० रामरख ब०हि०ब० 1/6 हिस्सा, दीपक पुत्र मदनपाल 1/6 हिस्सा जाति जाट सा० पटवा खातेदार :- मु० न० 03 के कि० न० 9/1 की 0.240 है०, कि० न० 9/2 की 0.013 है० रास्ता, कि० न० 10/1 की 0.240 है०, कि० न० 10/2 की 0.013 है० रास्ता, कि० न० 11/1 की 0.240 है०, कि० न० 11/2 की 0.013 है०, कि० न० 12 की 0.253 है०, कि० न० 17/1 की 0.013 है०, कि० न० 18 की 0.253 है०, कि० न० 19 की 0.253 है०, कि० न० 20/1 की 0.240 है०, कि० न० 20/2 की 0.013 है०, कि० न० 21/1



0.240 है0 कि0 नं0 21/2 की 0.013 है0, कि0 नं0 22 की 0.253 है0, कि0 नं0 23 की 0.253 है0, कि0 नं0 24/1 की 0.013 है0, मु0 नं0 8 कि0 नं0 2 की 0.253 है0, कि0 नं0 3 की 0.253 है0 कुल रकबा 2.984 है0 बाराणी, 0.078 है0 रास्ता।

जगदीश पुत्र श्योनारायण 3863/6147 हिस्सा आर0एम0जी0बी0 शाखा जोगीवाला, पवन कुमार पुत्र धनपत हिस्सा 1142/6147 सतीश कुमार पुत्र धनपत 1142/6147 हिस्सा जाति साठ पटवा:- मु0 नं0 3 के कि0 नं0 7 की 0.253 है0, कि0 नं0 8 की 0.253 है0, कि0 नं0 13 की 0.253 है0, कि0 नं0 14 की 0.253 है0, कि0 नं0 16 की 0.253 है0, कि0 नं0 17/2 की 0.240 है0, कि0 नं0 24/2 की 0.240 है0, कि0 नं0 25 की 0.253 है0, मु0 नं0 8 के कि0 नं0 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 12 कि0 नं0 22/2 की 0.152 है0, मु0 नं0 15 कि0 नं0 2 की 0.253 है0, कि0 नं0 9/2 की 0.202 है0, मु0 नं0 38 कि0 नं0 11/1 की 0.228 है0, 11/2 की 0.025 है0, कि0 नं0 12/1 की 0.228 है0, कि0 नं0 12/2 की 0.025 है0, कि0 नं0 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है0, मु0 नं0 39 कि0 नं0 14 की 0.253 है0, कि0 नं0 15 की 0.253 है0, कि0 नं0 16/1 की 0.228 है0, कि0 नं0 16/2 की 0.025 है0, कि0 नं0 17/1 की 0.228 है0, कि0 नं0 17/2 की 0.025 है0, कुल रकबा 6.047 है0 बाराणी, 0.100 है0 रास्ता।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को पर्चा डिक्री का भाग पढा जावे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.05.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

रीजिस्ट्री अधिकारी : श्री कल्पित शिवराज अर ए.एम.

क्रमांक : 108/2016

1. जयदीप पुत्र शशीचरण जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।

-वादी

बनाम

1. बदरामल पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
2. राजपाल पुत्र रामरज जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
3. टीकानसिंह पुत्र रामरज जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
4. दूधनकुमार पुत्र शशीचन्द जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
5. जगदीस पुत्र शशीचन्द जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
6. पवनपाल पुत्र शशीचन्द जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
7. हेतसम पुत्र शशीचन्द जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
8. सन्तोष पानी धनपाल जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
9. भीतु पुत्री धनपाल जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
10. सतीश कुमार पुत्र धनपाल जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
11. पवनकुमार पुत्र धनपाल जाति जाट निवासी पटवा तहसील भादरा।
12. आर एम जी बी शाखा जोगीवाला तहसील भादरा जरिये शाखा प्रकाशक।
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

-: प्रतिवादीगण

दावा बाबत : खाता विभाजन

अन्वयत धारा 53, 188 राजकाशत0अधि0 1955

अस्थिति : वकील श्री विनोद पुनिया : वादी

वकील श्री पवन सिंहाण : प्रतिवादी संख्या 1 ता 7



निर्णय

दिनांक: 26.05.2016

संक्षेप में दावा के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक पटवा बरानी के खाता संख्या 7/28 के मु0 नं0 3 के कि0 नं0 7 ता 9, 10, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25, मु0 नं0 8 के कि0 नं0 8 के कि0 नं0 2 ता 7, मु0 नं0 12 के कि0 नं0 22/2, मु0 नं0 15 के कि0 नं0 2, 9/2, मु0 नं0 38 कि0 नं0 11, 12, 19 ता 22, मु0 नं0 39 कि0 नं0 14, 15, 16, 17 कुल 9.209 है0 (बरानी 9.057 है0 रास्ता 0.152 है0)वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादभूमि की किरम, कास्त बंटवाई एवं रास्ता आदि को लेकर पक्षकारान में विवाद बना रहता है। इसलिए वादी वादभूमि का कब्जा कास्त अनुसार जोत विभाजन करवाकर वादी अपने हिस्से की भूमि अलग से टक कायम करवाकर उस पर अपना पृथक से कब्जा प्राप्त कर उसका अपने नाम अलग से खाता कायम करवाने का एवं वादी के विभाजित हिस्सा तक आवगमन के लिए रास्ते का अंकन करवाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये वकील हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने कब्जा कास्त के हिसाब से खाता विभाजन का प्रस्ताव तैयार करवाने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौरान बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पक्षकारान मुताबिक वाहगी बंटवारा के उनके दी गई भूमि पर कास्त करते आ रहे हैं। उसी अनुसार कब्जा कास्त के हिसाब से खाता लगान अलग अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक पटवा बरानी के खाता

7/28 के मु० नं० 3 के कि० नं० 7 ता 9, 10, 11, 12 ता 19, 20, 21, 22 ता 25, मु० नं० 8 के कि० नं० 2 ता 7, मु० नं० 12 के कि० नं० 22/2, मु० नं० 15 के कि० नं० 9/2, मु० नं० 38 कि० नं० 11, 12, 19 ता 22, मु० नं० 39 कि० नं० 14, 15, 16, 17 ता 9.209 है० (बारांनी 9.057 है० रास्ता 0.152 है०) वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के दस्तखत राजस्व रिकार्ड है। उक्त वादभूमि में वादी ने अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार खातेदारी भूमि का कब्जा करत के अनुसार खाता विभाजन चाहा है जिसका विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर तहसीलदार भादरा द्वारा मुताबिक अपनी रिपोर्ट व मय खातेदार नक्शा तहसीलदार भादरा के पत्रांक भू.अ./25/323 दिनांक 30.04.2025 को विभाजन प्रस्ताव पेश हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्षकारान को सुना गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर की। अतः तहसीलदार भादरा के द्वारा रोही मौजा चक पटवा बारांनी का प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पक्षकारान खाता व लगान निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है:-

विभाजन : रोही मौजा चक पटवा बारांनी

1. अमरसिंह पुत्र श्योचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आरएमजीवी जोगीवाला, कृष्ण कुमार पुत्र श्योचन्द 1/6 हिस्सा राहिन बी० ओ० बी० भादरा, हेतराम पुत्र श्योचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आर०एम०जी०बी० जोगीवाला, मेनपाल पुत्र श्योचन्द 1/6 हिस्सा राहिन आर०एम०जी०बी० जोगीवाला, राजपाल-दिवानसिंह पि० रामरख ब०हि०ब० 1/6 हिस्सा, दीपक पुत्र मदनपाल 1/6 हिस्सा जाति जाट सा० पटवा खातेदार :- मु० नं० 03 के कि० नं० 9/1 की 0.240 है०, कि० नं० 9/2 की 0.013 है० रास्ता, कि० नं० 10/1 की 0.240 है०, कि० नं० 10/2 की 0.013 है० रास्ता, कि० नं० 11/1 की 0.240 है०, कि० नं० 11/2 की 0.013 है०, कि० नं० 12 की 0.253 है०, कि० नं० 17/1 की 0.013 है०, कि० नं० 18 की 0.253 है०, कि० नं० 19 की 0.253 है०, कि० नं० 20/1 की 0.240 है०, कि० नं० 20/2 की 0.013 है०, कि० नं० 21/1 की 0.240 है० कि० नं० 21/2 की 0.013 है०, कि० नं० 22 की 0.253 है०, कि० नं० 23 की 0.253 है०, कि० नं० 24/1 की 0.013 है०, मु० नं० 8 कि० नं० 2 की 0.253 है०, कि० नं० 3 की 0.253 है० कुल रकबा 2.984 है० बारांनी, 0.078 है० रास्ता।

2. जगदीश पुत्र श्योनारायण 3863/6147 हिस्सा आर०एम०जी०बी० शाखा जोगीवाला, पवन कुमार पुत्र धनपत हिस्सा 1142/6147 सतीश कुमार पुत्र धनपत 1142/6147 हिस्सा जाति जाट सा० पटवा:- मु० नं० 3 के कि० नं० 7 की 0.253 है०, कि० नं० 8 की 0.253 है०, कि० नं० 13 की 0.253 है०, कि० नं० 14 की 0.253 है०, कि० नं० 16 की 0.253 है०, कि० नं० 17/2 की 0.240 है०, कि० नं० 24/2 की 0.240 है०, कि० नं० 25 की 0.253 है०, मु० नं० 8 के कि० नं० 4 ता 7 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० नं० 12 कि० नं० 22/2 की 0.152 है०, मु० नं० 15 कि० नं० 2 की 0.253 है०, कि० नं० 9/2 की 0.202 है०, मु० नं० 38 कि० नं० 11/1 की 0.228 है०, 11/2 की 0.025 है०, कि० नं० 12/1 की 0.228 है०, कि० नं० 12/2 की 0.025 है०, कि० नं० 19 ता 22 प्रत्येक की 0.253 है०, मु० नं० 39 कि० नं० 14 की 0.253 है०, कि० नं० 15 की 0.253 है०, कि० नं० 16/1 की 0.228 है०, कि० नं० 16/2 की 0.025 है०, कि० नं० 17/1 की 0.228 है०, कि० नं० 17/2 की 0.025 है०, कुल रकबा 6.047 है० बारांनी, 0.100 है० रास्ता।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो विभाजन के बाद रहन संबंधित काश्तकार के संबंधित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.05.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Handwritten Signature)
(कल्पित शिवरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़